फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– तेजा　　　　　　　　　　　　विपक्षी :– भूरा

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी.　　　　पत्रावली संख्या : 03/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.01.2021	

पत्रावली अधिवक्ता वादी श्री हार्दिक चेचाणी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवश्यक कार्य होने से वह कहीं बाहर गये थे जिसकी सूचना अपने पक्षकार को भी नहीं दे पाये। दिनांक 14.12.2020 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। कृषि भूमि से सम्बन्धित वाद होने से प्रार्थी का हित निहित है। जानकारी में आते ही समयावधि से पूर्व ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्दर मयाद होना बताकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 371/98ए अनवान तेजा बनाम भूरा दिनांक 14.12.2020 को वादी व प्रतिवादीगण दोनो अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण दिनांक 14.12.20 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो अन्दर मयाद है। प्रकरण पुराना होकर कृषि भूमि से सम्बन्धित होने से वादी को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 371/98ए अनवान तेजा बनाम भूरा में आदेश दिनांक 14.12.20 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.14 16:30:54 IST
Reason: SelfAttested